तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/10178/2003/झुंझुनू** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर श्री गोपीनाथजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री शांति प्रकाश औझा, राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 03.02.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं सपठित धारा 232 राज0काश्त0अधि0 1955 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, झूंझुनू ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 28.10.1997 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, उदयपुरवाटी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं सपठित धारा 232 आरटीएक्ट के तहत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, झूंझूनु के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझूनु के भूमि खसरा संख्या 1946 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी मंदिर गोपीनाथ जी के नाम दर्ज थी। जिस पर मंदिर द्वारा काश्त करवाई जाती थी। राजस्व रिकार्ड में खुदकाश्त मंदिर मूर्ति गोपीनाथ दर्ज थी। खतौनी बंदोबस्त् संवत् 2012 से 2031 व जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में उक्त भूमि मंदिर श्री गोपीनाथ जी की माफी की भूमि थी तथा मंदिर द्वारा व्यवस्था व काश्त करवायी जाती थी। खातेदार काश्तकार मंदिर गोपीनाथ जी थे। जमाबंदी संवत् 2020 से 2043 की जमाबंदी में विपक्षी संख्या 2 लगायत 11 के पूर्वज द्वारकाप्रसाद पुत्र रामधन कौम ब्राह्मण का नाम खातेदारी के खाने में इंतकाल संख्या 187 से दर्ज हुआ है। तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के यह प्रविष्ठि की है जो अवैध है। चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/10178/2003/झुंझुनू** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर श्री गोपीनाथजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी मंदिर मूर्ति गोपीनाथ जी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अपर जिला कलक्टर, झूंझुनू ने अपने निर्णय दिनांक 28–10–97 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 1946 जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी दर्ज है तथा अन्य लोगों से काश्त करवाते थे। जागीर रिज्यूम होने पर माफी मंदिर के नाम आई है। विवादित भूमि संवत् 2019 तक मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त थी, तब राज0 सरकार की नहीं हो सकती थी। जमाबंदी संवत् 2019 से 2023 सही नहीं है। द्वारकाप्रसाद की खातेदारी में भूमि कब आई यह कहीं भी उल्लेख नहीं है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, इसकी खातेदारी की भूमि अन्य के नाम नहीं हो सकती है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः माफी मंदिर श्री गोपीनाथजी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अपर जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झूंझुनू की संवत् 2016 से 2019 की जमाबंदी से उक्त भूमि माफी मंदिर गोपीनाथजी की खातेदारी में दर्ज होना स्पष्ट होता है तथा कृषक के रूप में द्वारकाप्रसाद पुत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/10178/2003/झुंझुनू</u>** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर श्री गोपीनाथजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामधन कौम ब्राह्मण साकिन देह खसरा संख्या 1946 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा के लिए दर्ज है। जबकि संवत् 2020 से 2023 की जमाबंदी में उक्त खसरा संख्या के लिए भूमिधारी राज0 सरकार कृषक के नाम पर द्वारकाप्रसाद दर्ज है, खतौनी बंदोबस्त् 2012 से 31 में भी यह भूमि मंदिर गोपीनाथ जी की माफी की भूमि थी जो कि मंदिर गोपीनाथजी की खुदकाश्त भूमि की श्रेणी में आती है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति गोपीनाथजी की खुदकाश्त भूमि से मूर्ति मंदिर गोपीनाथजी का नाम हटाकर कृषक के रूप में द्वारकाप्रसाद का नाम लिखना तथा भूमि अधिकारी के रूप में राजस्थान सरकार अंकित करना बिना किसी आधार के पाया गया है तथा द्वारकाप्रसाद के नाम खातेदारी आ जाने का कोई आधार नहीं है। जमाबंदी संवत् 2020 से 2043 की जमाबंदी में विपक्षी संख्या 2 लगायत 11 के पूर्वज द्वारकाप्रसाद पुत्र रामधन कौम ब्राह्मण का नाम खातेदारी के खाने में इंतकाल संख्या 187 से दर्ज हुआ है जो कि अवैध है। चूंकि तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के यह प्रविष्ठि की है जो गलत है। उन्हें यह प्रविष्ठि परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि राजस्व जमाबंदी अभिलेख संवत् 2016 से 2019 के अनुसार विवादग्रस्त आराजी का माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी की खातेदारी में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री गोपीनाथजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है । परिणामस्वरूप न्यायालय अपर जिला कलक्टर, झूंझुनू द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/10178/2003/झुंझुनू** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर श्री गोपीनाथजी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 28.10.1997 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी के खसरा संख्या 1946 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी तथा उसके पश्चात् दर्ज समस्त इंद्राजों एवं नामांतकरणों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री गोपीनाथजी की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	